

भारत का उच्चतम न्यायालय

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारान्तर्गत

आपराधिक अपील क्रमांक 2267–2268 / 2009

उदीया

.....अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

म. प्र. राज्य

.....प्रतिप्रार्थी (गण)

न्याय – निर्णय

न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना

1. मा. म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07 जुलाई, 2006 के माध्यम से विचारण न्यायालय के विनिश्चय, यथान्तर्गत अपीलार्थी उदीया को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षिप्ततः भा. द. स.) के अन्तर्गत अपने भाई नाकुड़ा की हत्या के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है, की अभिपुष्टि की गई है एवं आजीवन कारावास व रूपये 1000/– के अर्थदण्ड से दण्डित कर जुर्माने के व्यतिक्रम की दशा में एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया है।
2. मृतक नाकुड़ा की पत्नी जीवनी (अभियोजन साथी क्रमांक-1) व नाकुड़ा की पत्नी की बहन की चक्षुदर्शी साक्ष्य पर विचारोपरांत हमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिपुष्ट करने में संदेह नहीं है जो नाकुड़ा की हत्या के संदर्भ में की गई हैं। जीवनी (अ. सा. – 1) का कथन है कि दिनांक 10 जुलाई, 1999 को रात 10:00 बजे जब वह अपने घर में थी, उसने अपने पति के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी। उसका पति काम से वापस अपने घर आ रहा था और घर से थोड़ी दूरी पर ही था। उसने नाकुड़ा को अपीलार्थी द्वारा पत्थर से हमला करते हुए देखा। नाकुड़ा ने भी उसे बताया कि अपीलार्थी ने उस पर पत्थर से हमला किया। तत्पश्चात जीवनी (अ. सा. – 1) एक व्यक्ति लक्ष्मण को उसके घर जाकर घटनास्थल तक लेकर आई। तत्पश्चात ग्रामवासी घटनास्थल पर एकत्रित हुए। अ. सा. – 1 ने पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 दायर की। वस्तुतः यह प्रकरण नोटिस जारी होने के आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2009 से ही अपराध की प्रकृति व सजा के परिमाण (Quantum of punishment) पर सुने जाने तक परिसीमित है। अतः हम अपराध की प्रकृति व सजा के परिमाण के प्रश्न पर ही विचार करेंगे।

3. डॉ. निर्मल कुमार चौधरी (अ. सा. – 6) द्वारा अभिप्रमाणित शव परीक्षण प्रतिवेदन (Postmortem Report) प्रदर्श P/8 एक चिकित्सकीय साक्ष्य है जिसमें अभिमत प्रकट किया है कि मृतक को बायीं कनपटी व ऊपरी जबड़े की हड्डी पर चोटें आई व अस्थि-भंग हुआ है एवं मृत्यु का कारण सिर पर लगी चोटें हैं।
4. यद्यपि, हम प्रकरण को धारा 300 भा.द.स. के अपवाद क्रमांक 4 की परिधि में होने के कथन व अभिवचनों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। यह पूर्व चितित हमला या हिंसा का प्रकरण नहीं है जोकि पूर्व की रंजिश या हेतुक से प्रेरित हो। यह अचानक हुआ झगड़ा था जिसमें दो भाई शामिल थे और हाथापाई में अपीलार्थी द्वारा पत्थर उठाया गया और मृतक नाकुड़ा को मारा गया। बिरजी (अ. सा. – 3) द्वारा यह साक्ष्य दी गई है कि जीवनी (अ. सा. – 1) उसके घर आई थी और कह रही थी कि अपीलार्थी व नाकुड़ा लड़ रहे हैं। समरूप कथन लक्ष्मण (अ. सा. – 4) द्वारा किये गये हैं व कहा है कि जीवनी (अ. सा. – 1) ने यह सूचित किया था कि दोनों भाई लड़ रहे हैं और वे उन्हें अलग करवाएँ। अपीलार्थी अपराध करने हेतु हथियार सहित घटनास्थल पर उपस्थित नहीं हुआ था। दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार की पूर्व शत्रुता व कटुता की साक्ष्य किसी भी साक्षी द्वारा नहीं दी गई हैं। वस्तुतः जीवनी (अ. सा. – 1) द्वारा कहा गया है कि पूर्व में एक सिविल वाद उसके पति और अपीलार्थी द्वारा किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया गया था और यह भी कि दोनों भाइयों के मध्य पूर्व में कोई शत्रुता नहीं थी यद्यपि वे कभी-कभी लड़ते थे एवम् तत्पश्चात पुनः मित्रवत् हो जाते थे। जब जीवनी (अ. सा. – 1) मृतक नाकुड़ा से मिली, तब वह बोलने की अवस्था में था और बताया था कि अपीलार्थी ने उसे पत्थर से मारा परंतु इस हिंसा का कोई कारण नहीं बताया। निःसंदेह शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा तीसरी व चौथी पसली के भंग होने को दर्शाया गया है परंतु इस प्रकार का अस्थिभंग नाकुड़ा के नीचे गिरने के कारण भी हुआ हो सकता है। कोई भी बाहरी चोटें रिब एरिया में उपस्थित नहीं पाई गई। लक्ष्मण (अ. सा. – 4) ने कथन किया है कि वे लोग अपीलार्थी के घर की तरफ बढ़े थे। अपीलार्थी, जो कि उपस्थित था, को बाहर आने हेतु कहा गया एवं आमना-सामना होने पर सूचित किया कि नाकुड़ा मर चुका है और वे पुलिस में रिपोर्ट करने जाएंगे। तत्पश्चात अपीलार्थी स्वयं को बचाने हेतु घटनास्थल से भाग गया। यह इंगित करता है कि अपीलार्थी इस बात से अवगत नहीं था कि उसने अपने भाई नाकुड़ा की हत्या कर दी है। (अन्यथा भी ऐसा कोई साक्ष्य शायद ही उपस्थित है जिसके द्वारा यह दर्शित या इंगित होता हो कि पहुँचाई गई शारीरिक चोटें इस प्रकार साशय कारित की गई थी कि जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्युकारित करने हेतु पर्याप्त हो।)

5. तदनुसार, उपरोक्त कारणों के अनुसरण में, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 302 से संपरिवर्तित कर धारा 304 भाग-1 भा.द.स. में निर्धारित करते हैं। दण्ड के प्रश्न पर, हमें सूचित किया गया है कि यथानिर्देशित आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2009 द्वारा जमानत पर छोड़े जाने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अब तक 06 साल का सश्रम कारावास भुगता जा चुका है। अपराध वर्ष 1999 में कारित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम दण्डादेश की अवधि अद्यतन भुगते गये कारावास की अवधि तक सीमित करते हुए दण्डादेश को उपांतरित करते हैं जिसमें रुपये 1000/- अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह की अवधि का सश्रम कारावास सम्मिलित रहेगा।
6. उपरोक्तानुसार अपीलें अंशतः स्वीकार की जाती हैं।

..... J.

(इंदु मल्हौत्रा)

..... J.

(संजीव खन्ना)

नई दिल्ली

अगस्त 14, 2019.

Disclaimer :- The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

प्रत्याख्यान:- स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु, न्यायनिर्णय के आंग्लभाषा संस्करण को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा।

Translated by:

Smt. Prachiti Taranekar
(J. J. Translator)
High Court of M.P.
Bench -Indore (M.P.)